फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

नेतराम बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–दावा मु0नं0– 77 / 2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/10/25	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम अगावली तह0 बहरावण्डा जिला दौसा की राजस्व सीमा में वर्तमान खाता संख्या 94, 92, 93 स्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नेमीचन्द पुत्र कालूराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम नेतराम पुत्र कालुराम है जिसे शुद्ध किया जाने के आदेश तहसीलदार को दिए जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश सभी दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम नेतराम अंकित है। इसलिए नियमानुसार साबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार शुद्धि करवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में खातेदार नेमीचन्द के स्थान पर नेतराम नाम शुद्ध कर दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	